SELF FINANCE COLLEGE FEDERATION

स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संघ (पंजीकृत)

Regd. Under The Indian Trust Act 1982 of the Government of India & Govt. of U.P.
Regd. in Niti Ayog (NGO Darpan) Govt. of India
Regd. Office : 36, S.D.M. Court, Opp. Street No. 3, Sikandrabad, Distt. Bulandshahr-203205 (U.P.)

Ref. No:-2025/08/SFCF/114 **Date:-** 18-08-2025

सेवा में,

1 –माननीय कुलपति जी, चौधरी चरण सिंह विवि0, मेरठ।

2 –कुलसचिव जी, चौधरी चरण सिंह विवि0, मेरठ।

विषय :– एम0एड0, बी0पी0एड0 एवं एम0पी0एड0 शिक्षको के भौतिक सत्यापन के विषय पर फेडरेशन के पत्र दिनाँक 13 अगस्त 2025 पर प्राप्त जवाब निराधार एवं साक्ष्यो को दरकिनार करते हुए दिए जाने के संबंध में।

सन्दर्भ :– माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या 25052/2025 सेल्फ फाइनेंस कॉलेज फेडरेशन बनाम राज्य एवं अन्य 08 के क्रम में

महोदय/महोदया,

आप कृपया अवगत हो की फेडरेशन ने अपने पत्र 2025/08/SFCF/113 दिनाँक 13 अगस्त 2025 के द्वारा आपको द्वारा ई–मेल एवं आई0जी0आर0एस0 से अवगत कराया था की एम0एड0, बी0पी0एड0 एवं एम0पी0एड0 शिक्षको के भौतिक सत्यापन को **शासनादेश संख्या 5125 (1) 70–2–2005 दिनाँक 21.10.2005** के द्वारा केवल सेल्फ फाइनेंस कॉलेजो में लागू किया गया है जो पूर्णतया असवैधानिक और अधिकारों का दुरूपयोग है। आपके द्वारा आई0जी0आर0एस0 संख्या 400138250297703 पर उपलब्ध कराया गया जवाब तथ्यों को दरकिनार करते हुए केवल प्रकरण को पोर्टल पर निस्तारित किये जाने के उद्देश्य से किया गया है। <u>आपको विवि0 के शिक्षा विभाग द्वारा तथ्यों से अलग जानकरी दी जाती है और आप बिना उसकी पुष्टि किये प्रकरणो को निस्तारित करते आ रहे है। आप कृपया अवगत हो :–</u>

1 – शासनादेश में भौतिक सत्यापन का उल्लेख किस बिंदु पर स्पष्ट अंकित है आपके द्वारा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है, आपके द्वारा पोर्टल पर अपलोड शासनादेश में भौतिक सत्यापन का उल्लेख कही नहीं है केवल सत्यापन शब्द का उल्लेख है जो की विधि के अनुसार पूर्णतया भिन्न है। विवि0 के द्वारा जो भौतिक सत्यापन किया जा रहा है उसके शासनादेश को उपलब्ध कराने की आपसे अपेक्षा है।

2– विवि0 एवं विवि के शिक्षा विभाग द्वारा केवल सेल्फ फाइनेंस कॉलेजो में उक्त शासनादेश किस तरह प्रभावी किया जा रहा है इसका कोई साक्ष्य और उत्तर आपके द्वारा नहीं दिया गया है केवल एम0एड0, बी0पी0एड0 एवं एम0पी0एड0 शिक्षको के सत्यापन किये जाने का पुनः भौतिक सत्यापन कार्यक्रम अपलोड किया है जिसका 13 अगस्त 2025 के प्रत्यावेदन की विषय वस्तु से कोई मेल नहीं है जिससे स्पष्ट है की विवि0 केवल शासनादेश को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हुए एकपक्षीय सेल्फ फाइनेंस कॉलेजो में लागू कर रहा है। कृपया आपसे अपेक्षा है की उक्त शासनादेश की स्पष्ट प्रति उपलब्ध कराये जिसमे स्पष्ट हो की एम0एड0, बी0पी0एड0 एवं एम0पी0एड0 शिक्षको का भौतिक सत्यापन केवल सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों में ही किया जायेगा और अनुदानित एवं विवि को इससे छूट प्राप्त होगी।

Website : www.sfcf.in I Email : sfcf2023@gmail.com I Mob. 8954-89-1289, 9997-70-8995

Scanned with OKEN Scanner

3 – विवि0 द्वार प्रत्येक वर्ष एम0एड0, बी0पी0एड0 एवं एम0पी0एड0 शिक्षको के भौतिक सत्यापन का कार्यक्रम जारी किया जाता है और विधिवत उल्लेखित शासनादेश के आधार पर केवल सेल्फ फाइनेंस कॉलेजो के शिक्षको का भौतिक सत्यापन किया भी जाता है। आपसे अपेक्षा है की कृपया अनुदानित एवं विवि0 में संचालित एम0एड0, बी0पी0एड0 एवं एम0पी0एड0 शिक्षको के भौतिक सत्यापन का विगत 05 वर्ष का सत्यापन कार्यक्रम भी उपलब्ध कराने की कृपा करे।

4 – शासनादेश के आधार पर केवल सेल्फ फाइनेंस कॉलेजो में भौतिक सत्यापन किया जा रहा है जिसमे शिक्षको के प्रत्येक वर्ष वार भौतिक सत्यापन किये जाने जैसी कोई व्यवस्था का उल्लेख ही नहीं है साथ ही उनके आधार, पैन कार्ड आय व्यय के लेखा जोखा जाँच करने सम्बन्धी कोई व्यवस्था का उल्लेख नहीं है आपसे अपेक्षा है कृपया उस शासनादेश की प्रति उपलब्ध कराने जिसके आधार पर शिक्षकों के आधार, पैन आय व्यय सम्बन्धी दस्तावेजों को निरीक्षण करने का अधिकार विवि0 एवं शिक्षा विभाग को प्रदान किया गया है साथ ही आपसे अपेक्षा है आपके शिक्षा विभाग द्वारा मांगे जा रहे उक्त दस्तावेज वित्तीय रूप से महत्वपूर्ण है साथ ही काफी महिलाओ के दस्तावेज भी है जो की शिक्षक के रूप में विभिन्न संस्थानों में कार्यरत है उनके दस्तावेजों के संग्रहण की क्या व्यवस्था है एवं उनकी निजता प्रभावित होने की दशा में कौन उत्तरदायी है कृपया अवगत कराने की कृपा करे।

आप स्पष्ट रूप से अवगत है की जिस शासनादेश को केवल सेल्फ फाइनेंस कॉलेजो में प्रभावी किया जा रहा है उसकी विषयवस्तु स्पष्ट करती है की उसमे **उल्लेखित सत्यापन शब्द संबद्धता पत्रावलियों के प्रेषित किये जाते समय करने की व्यवस्था का भाग रहा है क्योकि जिस समय उक्त शासनादेश जारी हुआ तब सम्बद्धता शासन द्वारा जारी की जाती थी,** लेकिन विवि0 के कुछ अधिकारियो ने तथ्यों को गुमराह कर प्रत्येक वर्ष भौतिक सत्यापन करते हुए शिक्षको को विवि बुलाकर उनको परेशान किया जाना और विशेषकर महिलाओ की निजता को प्रभावित किया जाना प्रारम्भ कर दिया। **प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या 25052/2025 सेल्फ फाइनेंस कॉलेज फेडरेशन बनाम राज्य एवं अन्य 08 के क्रम में विचाराधीन है।**

"फ़ेडरेशन" इस विषय में आशा रखती है की इस नियमविरुद्ध व्यवस्था को समाप्त करते हुए सेल्फ फाइनेंस कॉलेजो के शिक्षको को भी सामान आधार से देखते हुए आप उनके लोकतान्त्रिक एवं मौलिक अधिकारों की रक्षा करेंगी।

आदर सहित

प्रतिलिपि :–

1 – **माननीय कुलाधिपति,** राजभवन लखनऊ को सादर सूचनार्थ।

2 – **प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, लखनऊ** को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या 25052/2025 सेल्फ फाइनेंस कॉलेज फेडरेशन बनाम राज्य एवं अन्य 08 के क्रम में सादर सूचनार्थ।

(नितिन यादव)	प्रो0 (डॉ0) निधि शुक्ला	प्रो0 (डॉ0) आनन्द सिंह
अध्यक्ष	वरिष्ठ उपाध्यक्ष	वरिष्ठ महासचिव

स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संघ SELF FINANCE COLLEGE FEDERATION SFCF

Scanned with OKEN Scanner

चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

पत्रांक: सम्बद्धता /

दिनांक: .....

सेवा में,

निदेशक / सचिव / प्राचार्य
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध एम.एड.,बी0पी0एड0 तथा एम0पी0एड0
पाठ्यक्रम संचालित करने वाले समस्त स्ववित्तपोषित संस्थान / महाविद्यालय

विषयः एम.एड.,बी0पी0एड0 तथा एम0पी0एड0(द्विवर्षीय पाठ्यक्रम) पाठ्यक्रमों में सत्र 2025–27 के प्रवेश से पूर्व पाठ्यक्रम संचालित करने वाले सम्बद्धता प्राप्त संस्थानों में नियुक्त शिक्षक –शिक्षिकाओ के भौतिक सत्यापन हेतु अन्तिम अवसर के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

शासनादेश संख्या 5125 (1) / 70–2–2005 दिनांक 21.10.2005 के अनुपालन के संदर्भ में माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त एम.एड., बी0पी0एड0 तथा एम0पी0एड0(द्विवर्षीय पाठ्यक्रम) संचालित करने वाले समस्त स्ववित्त पोषित संस्थानों में एम.एड., बी0पी0एड0 तथा एम0पी0एड0(द्विवर्षीय पाठ्यक्रम) पाठ्यक्रमों में सत्र 2025–27 में काउंसलिंग के माध्यम से छात्र आवंटित करने से पूर्व एन.सी.टी.ई. के मानको के अनुरूप नियुक्त शिक्षकों का भौतिक सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है। उक्त के अनुपालन में माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि :–

1. आपके संस्थान में एम.एड., बी0पी0एड0 तथा एम0पी0एड0(द्विवर्षीय पाठ्यक्रम) हेतु नियुक्त शिक्षकों के सत्यापन के लिए निर्धारित **Proforma for Verification of M.Ed./B.P.Ed./M.P.Ed. Faculty** (संलग्नक–1) पूर्ण कर पाठ्यक्रम हेतु अनुमोदित शिक्षकों के साथ दि० 25, 26 तथा 27 अगस्त, 2025 को भौतिक सत्यापन हेतु शिक्षा विभाग, चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ में पूर्वाह्न 11 बजे उपस्थित हों तथा इस हेतु कोई यात्रा भत्ता वि0 वि0 द्वारा देय नहीं होगा।
2. सत्यापन हेतु अनुमोदित शिक्षकों को अपने सभी मौलिक शैक्षणिक अभिलेख, अनुभव प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड व सैलरी भुगतान एकाउन्ट की पास बुक व 02 पासपोर्ट साईज फोटो मूल रूप में लाना अनिवार्य है। संस्थान द्वारा सम्बन्धित शिक्षक को पिछले एक वर्ष में बैंक के माध्यम से किए गए वेतन भुगतान का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा।
3. विश्वविद्यालय द्वारा केवल अनुमोदित एवं संस्थान में कार्यरत शिक्षकों का ही सत्यापन कराया जायेगा। विगत वर्षों में शिकायती पत्रों के आधार पर कुछ शिक्षकों के प्रमाण पत्र निर्गत संस्थान से सत्यापित कराने पर फर्जी पाये गये थे। ऐसे शिक्षकों का अनुमोदन विश्वविद्यालय ने निरस्त कर संस्थान को एम.एड., बी0पी0एड0 तथा एम0पी0एड0(द्विवर्षीय पाठ्यक्रम) काउंसिलिंग में सम्मिलित नही किया था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये, जिन शिक्षकों का चयन आपने संस्थान में किया है या आपके संस्थान में विगत वर्षो से कार्यरत हैं,, उनके शैक्षिक प्रमाण–पत्रों व अनुभव प्रमाण पत्रों की सत्यता की जाँच प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले विश्वविद्यालय / संस्थान / कालिज से अपने स्तर पर अनिवार्य रूप से करा लें। यदि किसी शिक्षक को फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने / पाये जाने अथवा अर्हता पूर्ण न करने के आधार पर अयोग्य पाया जाता है, तो उसका अनुमोदन निरस्त कर विश्वविद्यालय उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करेगा। ऐसी स्थिति के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
4. शिक्षकों के सत्यापन के समय यदि संस्थान के पास एन.सी.टी.ई. के मानकों के अनुरूप अर्ह शिक्षकों का अनुमोदन व संख्या पूर्ण नहीं होगी, तो उसे एम.एड., बी0पी0एड0 तथा एम0पी0एड0(द्विवर्षीय पाठ्यक्रम) सत्र 2025–27 में काउंसलिंग से छात्र आवंटित नही किये जायेंगे और न ही शिक्षकों के सत्यापन हेतु अन्य अवसर प्रदान किया जायेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं संस्थान की होगी एवं विश्वविद्यालय अग्रेत्तर कार्यवाही करेगा। अतः सत्यापन में प्रतिभाग करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि आपके यहाँ निर्धारित संख्या में एन.सी.टी.ई. के मानको के अनुरूप शिक्षक अनुमोदित हैं।
5. संस्थान / महाविद्यालय को अपने यहाँ सत्र 2025–27 में एम.एड., बी0पी0एड0 तथा एम0पी0एड0(द्विवर्षीय पाठ्यक्रम) के संचालन हेतु एन0सी0टी0ई0 द्वारा निर्गत पत्र (2015) एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्धता की प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है। उक्त पत्र प्रस्तुत न करने वाले संस्थान को एम.एड., बी0पी0एड0 तथा एम0पी0एड0(द्विवर्षीय पाठ्यक्रम) हेतु काउंसिलिंग से छात्र आवंटित नही किए जायेंगे।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि :–

1.सचिव कुलपति को, मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
2.सचिव कुलसचिव को, सम्बन्धित आदेश के गॉर्ड फाईल हेतु।
3.प्रो0 आर0 के0 शर्मा, चैयरमेन, एम.एड., बी0पी0एड0 तथा एम0पी0एड0(द्विवर्षीय पाठ्यक्रम) प्रवेश सत्र 2025–27 के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. प्रो0 विजय जायसवाल, समन्वयक, एम.एड., बी0पी0एड0 तथा एम0पी0एड0(द्विवर्षीय पाठ्यक्रम) प्रवेश सत्र 2025–27 के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5.उपकुलसचिव (सम्बद्धता) को इस आशय के साथ कि एम.एड., बी0पी0एड0 तथा एम0पी0एड0(द्विवर्षीय पाठ्यक्रम) शिक्षकों के नियुक्ति या अनुमोदन से सम्बन्धित प्रकरण के यथाशीघ्र निस्तारण हेतु।

माननीय कुलपति जी की अनुमति हेतु प्रस्तुत

11/08/25

कुलसचिव

Head Education

14.8.25

संख्या-5125/सत्तर-2-2005-2(166)/2002टी0सी0

प्रेषक,

[illegible]
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति/कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 21 अक्टूबर, 2005

विषय:-बी0एड0/बी0पी0एड0/एम0एड0 पाठ्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश देने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-2665/सत्तर-2-2005-2(166)/2002 टी0सी0, दिनांक-12 जुलाई, 2005 का संदर्भ ग्रहण करें, जो बी0एड0 पाठ्यक्रम की सम्बद्धता के प्रस्ताव के साथ शिक्षकों के सम्बन्ध में यू0जी0सी0/एन0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित अर्हता आदि अनुमोदित प्राचार्य/शिक्षकों के अनुबन्ध पत्र/शपथ पत्र, मूल फोटोग्राफ, किसी अन्य संस्था में कार्यरत न होने आदि के सम्बन्ध में विवरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री कुलाधिपति द्वारा किसी महाविद्यालय के बी0एड0 पाठ्यक्रम में सम्बद्धता के आदेश प्रदान किये जाने के उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्था में छात्रों को प्रवेश की अनुमति देने के पूर्व निम्न का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जाय:-

(क) महाविद्यालय सम्बद्धता से सम्बन्धित सभी शर्ते पूर्ण कर रहा हो।

(ख) महाविद्यालय राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में दिये गये सभी निदेश/शर्ते पूर्ण कर रहा हो।

(ग) उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान में विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित निर्धारित संख्या में अर्हताधारी प्राचार्य या निदेशक एवं शिक्षक कार्यरत हों तथा वे सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान के अतिरिक्त किसी अन्य महाविद्यालय/संस्थान के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित न किये गये हों तथा किसी भी अन्य महाविद्यालय में कार्यरत न हों। प्राचार्य व शिक्षकों की अर्हताओं का मूल अभिलेखों से भली-भांति सत्यापन करना जाना सुनिश्चित किया जाय। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिथिलता या उदासीनता क्षम्य नहीं होगी।

2/-

3. उपरोक्त की पूर्ति होने के उपरान्त ही छात्रों के प्रवेश की अनुमति सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान को दी जायेगी।

4. कृपया उक्त निर्देशों का कठोरतापूर्वक अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा की गयी कार्यवाही से श्री कुलाधिपति/शासन को भी अविलम्ब अवगत कराया जाय।

5. ये आदेश श्री कुलाधिपति के अनुमोदन के उपरान्त जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
सचिव।

संख्या-5125(1)/सत्तर-2-2005-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रमुख सचिव, श्री कुलाधिपति, उत्तर प्रदेश।
(2) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(3) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(5) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(6) अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
(7) उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजीव कुमार)
सचिव।